



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02012026-269034
CG-DL-E-02012026-269034

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5906]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 30, 2025/पौष 9, 1947

No. 5906]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 30, 2025/PAUSHA 9, 1947

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2025

का.आ. 6106(अ).— केंद्र सरकार, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2012 (2012 का 37) द्वारा यथा संशोधित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 (1956 का 25) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निम्नलिखित को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, गुवाहाटी के संस्थान निकाय के रूप में नामित करती है :

I. धारा 4 के खंड (क) के तहत सदस्य :

i. कुलपति, तेजपुर विश्वविद्यालय

II. धारा 4 के खंड (घ) के तहत सदस्य :

i. अपर सचिव तथा वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार – वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि

ii. निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी – शिक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि

III. धारा 4 के खंड (ड) के तहत सदस्य :

i. सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार या उनके नामांकित व्यक्ति

ii. मुख्य सचिव, असम सरकार या उनके नामांकित व्यक्ति

- iii. डॉ. डी. के. मित्रा, पूर्व प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष (बाल शल्य चिकित्सा,) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली

III. धारा 4 के खंड (च) के तहत सदस्य :

- i. डॉ. भावना ए. बढे, प्रोफेसर (पैथोलॉजी), जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी
- ii. डॉ. जया चतुर्वेदी, डीन (अकादमिक), अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ऋषिकेश
- iii. डॉ. विनीत आहूजा, प्रोफेसर, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी विभाग, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली
- iv. डॉ. एली मोहापात्रा, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष (बायोकेमिस्ट्री), अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर

2. तदनुसार, संस्थान निकाय की वर्तमान संरचना निम्नानुसार है:

क्रम संख्या	सदस्य का नाम/पद	टिप्पणियाँ
धारा के खंड 4(क) के तहत सदस्य :		
1.	कुलपति, तेजपुर विश्वविद्यालय	
धारा के खंड 4(ख) के तहत सदस्य :		
2.	स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार	पदेन सदस्य
धारा के खंड 4(ग) के तहत सदस्य :		
3.	संस्थान के निदेशक	पदेन सदस्य
धारा के खंड 4(घ) के तहत सदस्य :		
4.	अपर सचिव तथा वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार – वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि	
5.	निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी – शिक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि	
धारा के खंड 4(ङ) के तहत सदस्य :		
6.	सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार या उनके नामांकित व्यक्ति	
7.	मुख्य सचिव, असम सरकार या उनके नामांकित व्यक्ति	
8.	रिक्त	
9.	डॉ. मित्रा .के .डी ., पूर्व प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष बाल शल्य) (चिकित्सा, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली	
10.	डॉ. भूपेन्द्र कुमार सिंह संजय संस्थान निकाय के अध्यक्ष	14.08.2025 को जारी का .आ . 3779(अ) के माध्यम से नामांकित,

		राजपत्र आईडी संख्या सी.-एल.डी.-जी. -अ18082025-265470 के तहत प्रकाशित
धारा के खंड 4(च) के तहत सदस्य :		
11.	डॉ. भावना ए. बढे, प्रोफेसर (पैथोलॉजी), जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी	
12.	डॉ. जया चतुर्वेदी, डीन (अकादमिक), अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ऋषिकेश	
13.	डॉ. विनीत आहूजा, प्रोफेसर, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली	
14.	डॉ. एली मोहापात्रा, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष (बायोकेमिस्ट्री), अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर	
धारा के खंड 4(छ) के तहत सदस्य :		
15.	श्री प्रद्युत बोरदोलोई, संसद सदस्य, लोक सभा	03.02.2025 को जारी का .आ .596(अ)
16.	श्री दिलीप शङ्कीया, संसद सदस्य, लोक सभा	के माध्यम से नामांकित, राजपत्र आईडी संख्या सी.-अ.-एल.डी.-जी.03022025- 260739 के तहत प्रकाशित
17.	श्री भुबनेश्वर कालिता, संसद सदस्य, राज्य सभा	28.12.2023 को जारी का .आ . 5479(अ) के माध्यम से नामांकित, राजपत्र आईडी संख्या सी.-एल.डी.-जी. -अ30122023-250967 के तहत प्रकाशित

3. सदस्यों का कार्यकाल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 की धारा 6 में निहित प्रावधानों द्वारा शासित होगा।

[फा. सं. Z-28016/178/2019-PMSSY-IV(8037931)]

अंकिता मिश्रा बुंदेला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th December, 2025

S.O. 6106(E).— In exercise of powers conferred by Section 4 of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956 (25 of 1956) as amended by All India Institute of Medical Sciences (Amendment) Act, 2012 (37 of 2012), the Central Government hereby nominates the following as members of the Institute Body of All India Institute of Medical Sciences, **Guwahati :**

I. Member under clause (a) of Section 4:

- Vice-Chancellor, Tezpur University

II. Members under clause (d) of Section 4:

- i. Additional Secretary & Financial Advisor, Ministry of Health & Family Welfare – Representative of Ministry of Finance
- ii. Director, Indian Institute of Technology, Guwahati – Representative of Ministry of Education

III. Members under clause (e) of Section 4:

- i. Secretary, Ministry of Health & Family Welfare, Government of India or his/her nominee
- ii. Chief Secretary, Government of Assam or his/her nominee
- iii. Dr. D. K. Mitra, Ex. Prof. & Head (Paediatric Surgery), AIIMS, New Delhi

IV. Members under clause (f) of Section 4:

- i. Dr. Bhawana A. Badhe, Professor (Pathology), JIPMER, Puducherry
- ii. Dr. Jaya Chaturvedi, Dean (Academics), AIIMS, Rishikesh
- iii. Dr. Vineet Ahuja, Professor, Department of Gastroenterology, AIIMS, New Delhi
- iv. Dr. Eli Mohapatra, Professor & HoD (Biochemistry), AIIMS, Raipur

2. Accordingly, the current composition of the Institute Body is as under :

S.No.	Name/Designation of the Member	Remarks
Member under clause (a) of Section 4:		
1.	Vice-Chancellor, Tezpur University	
Member under clause (b) of Section 4:		
2.	Director General of Health Services, Ministry of Health & Family Welfare, Government of India	<i>Ex-officio</i>
Member under clause (c) of Section 4:		
3.	The Director of the Institute	<i>Ex-officio</i>
Member under clause (d) of Section 4:		
4.	Additional Secretary & Financial Advisor, Ministry of Health & Family Welfare – Representative of Ministry of Finance	
5.	Director, Indian Institute of Technology, Guwahati – Representative of Ministry of Education	
Member under clause (e) of Section 4:		
6.	Secretary, Ministry of Health & Family Welfare, Government of India or his/her nominee	
7.	Chief Secretary, Government of Assam or his/her nominee	
8.	Vacant	
9.	Dr. D. K. Mitra, Ex. Prof. & Head)Paediatric Surgery(, AIIMS, New Delhi	
10.	Dr. Bhupendra Kumar Singh Sanjay President of the Institute Body	Nominated vide S.O. 3779(E) dated 14.08.2025, published under Gazette ID No. CG-DL-E-18082025-265470
Member under clause (f) of Section 4:		
11.	Dr. Bhawana A. Badhe, Professor (Pathology), JIPMER, Puducherry	
12.	Dr. Jaya Chaturvedi, Dean (Academics), AIIMS, Rishikesh	
13.	Dr. Vineet Ahuja, Professor, Department of Gastroenterology, AIIMS, New Delhi	
14.	Dr. Eli Mohapatra, Professor & HoD (Biochemistry), AIIMS, Raipur	

Member under clause (g) of Section 4:		
15.	Shri Pradyut Bordoloi, Member of Parliament, Lok Sabha	Nominated vide S.O. 596(E) dated 03.02.2025, published under Gazette ID No. CG-DL-E-03022025-260739
16.	Shri Dilip Saikia, Member of Parliament, Lok Sabha	
17.	Shri Bhubaneswar Kalita, Member of Parliament, Rajya Sabha	Nominated vide S.O. 5479(E) dated 28.12.2023, published under Gazette ID No. CG-DL-E-30122023-250967

3. The term of office of members shall be governed by the provisions contained in Section 6 of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956.

[F. No. Z-28016/178/2019-PMSSY.IV(8037931)]

ANKITA MISHRA BUNDELA, Jt. Secy.